

विभाग का नाम:- उद्यान विभाग

कार्यालयध्यक्ष का नाम:-
 दूरभाष / फ़ैक्स सं०:-
 मोबाइल न०:-
 कक्ष संख्या एवं तल:-
 ई-मेल-आई -डी :-

अमर सिंह
 01334-239062
 09456129338
 71, द्वितीय तल
 dho_hdr@yahoo.com

उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण
 जिला योजना ,राज्य सैक्टर योजना एवं केन्द्र पोषित योजना (HMNEH,RKVY-NVIUC)
 जिला उद्यान अधिकारी ,हरिद्वार

कृषकों हेतु उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

क्र०स०	मद	राज सहायता/धनराशि	अभियुक्ति
		जिला योजना	
	पौध सुरक्षा रसायन	50 प्रतिशत	कीट/व्याधनाशक रसायन आदि
	0201-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास		
	उद्यानीकरण	50 प्रतिशत 5000	
	आलू बीज वितरण	50 प्रतिशत	.1 हे०
	9113-उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं चयनित क्षेत्रों में फल पट्टी का विकास		
	औद्योगिक निवेशों के ढुलान पर शतप्रतिशत राजसहायता		
	सब्जी बीज , पौध , फल पौध , आलू , कीट नाशक ,रसायन ढुलान		
	कीट/व्याधि की रोकथाम हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर कीट व्याधि नाशक रसायनों का वितरण	50 प्रतिशत	
	अलंकृत बागवानी विकास		
	प्रशिक्षण		
	चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पट्टियों का विकास 50 प्रतिशत राजसहायता पर	50 प्रतिशत	
	0292- उन्नत किस्म के रोपण सामग्री का उत्पादन - स्पेशल कम्पोनेन्ट		
	औद्योगिक निवेशों के ढुलान पर शतप्रतिशत राजसहायता		
	सब्जी बीज , पौध , फल पौध , आलू , कीट नाशक ,रसायन ढुलान		

कीट/व्याधि की रोकथाम हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर कीट व्याधि नाशक रसायनों का वितरण	50 प्रतिशत	
015- उन्नत किस्म कीटरोपण सामग्री का उत्पादन - ट्राइबल सब प्लान		
औद्यानिक निवेशों के दुलान पर शतप्रतिशत राजसहायता		
सब्जी बीज , पौध , फल पौध , आलू , कीट नाशक ,रसायन दुलान		
कीट/व्याधि की रोकथाम हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर कीट व्याधि नाशक रसायनों का वितरण	50 प्रतिशत	
0210- सघन बेमौसमी सब्जी उत्पादन- स्पेशल कम्पोनेन्ट		
0504- सघन बेमौसमी सब्जी उत्पादन- सामान्य जाति		
औद्यानिक औजार	50 प्रतिशत	
प्लास्टिक क्रेटस	50 प्रतिशत	-
बीज मशाला प्रदर्शन	50 प्रतिशत अथवा रू. 700 /-से1800 /-	-
उद्यानीकरण (नये उद्यान)	50 प्रतिशत अथवा रू.5000 /-	-
सात दिवसीय महिला प्रशिक्षण	रू.50 /-	प्रति प्रशिक्षार्थी
		राज्य सैक्टर योजना
फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्स	50 प्रतिशत	प्रति बॉक्स

हार्टीकलचर मिशन फॉर नार्थ एण्ड हिमालयन स्टेटस योजना (HMNEH)

01	पौधशाला स्थापना	50 प्रतिशत अथवा रू.750000 /-	छोटी पौधशाला 1हेक्टर हेतु 25000 कलमी पौध उत्पादन
02	नये उद्यान स्थापना	50 प्रतिशत अथवा रू.50000 /-तीन वर्ष में 50 प्रतिशत अथवा रू.30000 /- तीन वर्ष में	1सधन बागवानी हेतु निवेशो के रूप में (60:20:20) 30,10,10 2 सामान्य बागवानी हेतु निवेशो के रूप में (60:20:20) 18,10,10
03	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार (प्रति हे0)	50 प्रतिशत अथवा रू25000 /-	संकर प्रजाति की सब्जी की खेती बीज व निवेशों के रूप में (प्रति हे0)
04	मसाला क्षेत्रफल विस्तार (प्रति हे0)	रू0 15000 /-	अदरक, हल्दी, लहसून, (बीज व निवेशो के रूप में)
05	पुष्प क्षेत्रफल विस्तार (प्रति हे0)	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 20000 /-	खुले पुष्प बीज व निवेशो के रूप में (प्रति हे0)
		50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 50000 /-	डण्डीयुक्त बल्ब व निवेशों के रूप में (प्रति हे0)
		50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 75000 /-	बल्बयुक्त बल्ब व निवेशो के रूप में (प्रति हे0)
06	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार (प्रति हे0)	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 20000 /-	
07	पॉली हाउस निर्माण (हार्डटैक)	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 530 /-	500 वर्गमीटर तक
		50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 467.50 /-	500-1008 वर्गमीटर तक
		50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 465 /-	1008-2008 वर्गमीटर तक
		उक्त के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रो हेतु 15 प्रतिशत अतिरिक्त राज सहायता देय	
	शेड नेट हाउस (ट्यूबलर)	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 355 /-	प्रति वर्ग मीटर

		रू. 70 /-	सब्जी उत्पादन में प्रति वर्ग मीटर
	पॉली हाउस/शेड नेट में उन्नत पौध रोपण सामग्री	रू 350 /-	आर्किड /लिलियम पुष्प उत्पादन में प्रति वर्ग मीटर
		रू 305 /-	जरबेरा /कारनेशन पुष्प उत्पादन में प्रति वर्ग मीटर
		रू.213 /-	गुलाब पुष्प उत्पादन में प्रति वर्ग मीटर
	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट निर्माण(30x8x2.5) फीट	50प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 50000 /-	18x8x2.5 फीट /हेक्टर अधिकतम
	एच0डी0पी0ई0 वर्मी बेड (12x4x2)फीट	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 8000 /-	
	ओला अवरोधक जाली	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 17.50 /-	प्रति वर्ग मीटर अधिकतम 5000 वर्ग मीटर प्रति कृषक
	पावर टिलर 20 BHP से कम	35 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 100000 /-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति ,एवं महिलाओ हेतु

		25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू75000/-	सामान्य जाति
	पावर टिलर 8 BHP से अधिक	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू75000/-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति ,एवं महिलाओं हेतु
		40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू60000/-	सामान्य जाति
	पावर टिलर 8 BHP तक	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू50000/-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति ,एवं महिलाओं हेतु

क्र०सं०	मद	राज सहायता/अधिकतम धनराशि	अभ्युक्ति
15	ट्रैक्टर/पावर टिलर (20BHP) से अधिक आवश्यक उपकरण	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 150000.00	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति ,एवं महिलाओं हेतु
		40 प्रतिशत अथवा अधिकतमरू 120000.00	सामान्य जाति
16	आई.पी.एम.	रू.1200.00	प्रति हेक्टर
17	जल प्रबन्धन व्यवस्था		
अ	नये ट्यूबवैल की स्थापना	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 75000.00	प्रति यूनिट (मैदानी क्षेत्रों हेतु)
ब	पौण्ड निर्माण (20x20x3) मीटर	50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू 90000.00	प्रति यूनिट (पर्वतीय क्षेत्रों हेतु)

(अमर सिंह)
जिला उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार।